



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०
Ref. No.

1610/OA No. 96/कैराना रमाडा खनन/शिमला/2023

दिनांक 22-02-2023
Dated

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.-Response/Joint Factual Report in compliance to the notice issued by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 96/2023 titled "कैराना के रमाडा में यमुना से अवैध रेत खनन, जिम्मेदार कौन? (illegal mining at Kairana's Ramada in Yamuna, Who is responsible?)"

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Response/Joint Factual Report in compliance of the notice dated 08.02.2023 issued by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 96/2023 titled "कैराना के रमाडा में यमुना से अवैध रेत खनन, जिम्मेदार कौन? (illegal mining at Kairana's Ramada in Yamuna, Who is responsible?)".

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Ankit Singh)
Regional Officer

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

Response regarding Hon'ble N.G.T. O.A. No. 96/2023 titled
ढदङुक दस जेकुक एड ; एक ल स वऱक ङर [कुडु] फुएनकु दकु
(illegal mining at Kairana's Ramada in Yamuna, Who is
responsible?)

By above mentioned O.A. No. 96/2023 titled ढदङुक दस जेकुक एड ; एक ल स वऱक ङर [कुडु] फुएनकु दकु\ (illegal mining at Kairana's Ramada in Yamuna, Who is responsible?) Hon'ble NGT issued notice dated 08.02.2023 considering Suo Moto in reference of News Items published in Newspaper Kalam Hindustani, Shamli.

With reference to the item published in the newspaper, following are facts/ report: -

1. Village ramada is situated in Kairana at the banks of River Yamuna. Due to excess flow of the River, flood zone area/ agriculture land next to the river bed is deposited with excess sand which is regularly removed by the mining department.
2. As per the information provided by Mining Department Shamli, license was issued by District Magistrate Shamli dated 04.01.2023 to Riyasat and Salim sons of Meeda, resident of Vill. Ramada, Kairana, Shamli at Khasra No. 1121/2/1 area 0.683 Ha. for removing sand minerals (quantity 19124 cum.) within 60 days which was deposited at agriculture land of Village Ramada, Tehsil Kairana, District Shamli. (**Annexure-1**). As per the report of Tehsildar Kairana District Shamli dated 22.02.2023, Khasra no. 1121/2/1 as the total area of 40.9890 Ha. out of which 0.6830 Ha. belongs to Riyasat and Salim sons of Meeda to whom license was granted for mining of 19124 cum. sand. As per the khasra and khatauni, this land is identified as agriculture land

which is about 98 M. from the flood zone of river Yamuna **(Annexure-2)**.

2. Complaint against concerned licensee was filed by residents of Vill. Ramada submitting grievance that as per the license given by administration for removal of sand from Gata No. 1121 , the licensee did not carry out removal of sand from the mentioned area/Gata. and mentioning that licensees are gangsters and having criminal record **(Annexure-3)**.
3. In reference to the complaints received, SDM Kairana directed to submit factual report. Revenue Inspector inspected the site on dated 25.01.2023. As per report submitted, it is found that the licensee have mined 19124 cum. Sand from the approved Gata as per the license issued **(Annexure-4)**.
4. In continuation, SDM Kairana submitted the factual report to ADM (F/R) vide letter no. 628/S.T. dated 27.01.2023 stating that licensee have finished mining of 19124 cum. sand as per the conditions of the license and recommended to reject the license **(Annexure-5)**.
5. On the basis of above recommendation, District Magistrate Shamli rejected the license no. NOC/KB/2022/12/6/165458 dated 04.01.2023 vide their letter dated 5529/Kh.Vi-2023 dated 30.01.2023 **(Annexure-6)**.
6. In reference of Hon'ble NGT notice dated 08.02.2023 joint committee comprising members of Mining Inspector Shamli, Nayab Tehsildar Kairana and Assistant Environment Engineer of U.P. Pollution Control Board Muzaffarnagar visited the site on dated 22.02.2023. During joint visit, no mining activities were found in the concerned area. Photographs at the time of joint visit as follows :



Above information is being forwarded for further necessary action.

Encl. : As per above.

(Vipul Kumar)
A.E.E.
UPPCB,
Muzaffarnagar

(Gaurav Kumar)
Nayab Tehsildar
Tehsil Kairana
Shamli

(Bashishtha Yadav)
Mining Officer
Shamli

कार्यालय जिलाधिकारी, Shamli

(खतम-अनुभाग)

भूमिधरी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर वाह के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खतम हेतु अनुज्ञप्ति नियम ५२ के अंतर्गत



ANNEXURE-1

दिनांक: 04-01-2023

NR/2022/12/6/165458

आवेदक एवं अवधि

भूमिधरी का नाम

RIYASAT AND SAI IM

अवधिधारी का पता

VILLAGE RAMDA

अवधि की शुरुआत

04-01-2023 से 03-03-2023 तक

उपखनिज का विवरण

अनुज्ञप्ति उपखनिज

अनुज्ञप्ति मात्रा

19124.00 घन मी.

भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

वस्ती

ग्राम/नगर

खसरा संख्या

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

RAMDA

VILLAGE RAMDA

1121/2/1

0.6830

अनुज्ञप्ति का अंतिम दिनांक जमा प्रतिकार होगा।

Digitally signed by JASJIT KARR
Date: 2023.01.04 15:05:29
Shamli
District Magistrate

प्रबन्धक,
इलाहाबाद/इंडियन बैंक,
शाखा शामली।

कृपया संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास शामली के
बचत खाता संख्या 50393699664 में क्रेडिट कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	बैंक का नाम व शाखा	पट्टेधारक/परमिट धारक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	धनराशि	अभ्युक्ति
1	आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, शामली।	रियासत व सालिम पुत्रगण मीदा नि० ग्राम रामडा तहसील कैराना जिला शामली।	502925	20.12.2022	2,48,612-00	
योग :-					2,48,612-00	

(दो लाख अड़तालीस हजार छः सौ बारह रुपये मात्र)

Jaspre
जिलाधिकारी,
शामली।
✓

Account on 06/01/2023
Subject to clearing of DD.

[Handwritten Signature]

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदया,
जिला शामली।

ई- जॉर्नल

11/01/23 DM

विषय:- मु0 अं0 सं0-66 राज्य बनाम नाहिद हसन धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त अफसरून व राशिद उर्फ भूरा पुत्रगण रियासत के पिता रियासत पुत्र मीदा निवासी ग्राम रामडा के नाम दिये गये खनन पट्टा को निरस्त कराने के सम्बन्ध में महोदया,

3240/ST

खनन निरीक्षण

पट्टा

ADM 15/12/23

जम शिकायत / शिकायत
दिनांक: 09.00 बजे से 11.00 बजे तक
संख्या 1903

निवेदन है कि हम प्रार्थीगण ग्राम रामडा के निवासी हैं। हमारे गाँव के अफसरून व राशिद पुत्रगण रियासत जो अवैध गैंग चलाते हैं तथा गरीब व्यक्तियों की जमीनों पर कब्जे करते हैं और जिन्होंने अवैध सम्पत्ति अर्जित कर ली है। उपरोक्त व्यक्तियों ने शासन प्रशासन को धोखे में रखकर अपने पिता रियासत पुत्र मीदा व सालिम पुत्र मीदा निवासीगण ग्राम रामडा के नाम खनन का पट्टा धोखाधड़ी से करा लिया है और अब उपरोक्त व्यक्ति खनन कार्य गाटा सं0-1121 में से न करके 1122 जो ग्राम पंचायत का नम्बर है में कर रहे हैं। प्रार्थीगण की जमीन भी गाटा सं0-1121 में है। जब उपरोक्त व्यक्ति प्रार्थीगण के खेत से खनन करने लगे तो प्रार्थीगण ने रोका तो अवैध तमंचे लेकर हमारे पीछे दौड़ लिये और हमे हमारी जमीनों से भगा दिया और जबरदस्ती ग्राम पंचायत की जमीन से खनन कर रहे हैं तथा गाँव के लोगो को बदमाशी व गुण्डई के बल पर मौके से भगा देते हैं। उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मु0 अं0 सं0-66 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना लगा हुआ है। इन्ही के साथ इसी मुकदमे में अभियुक्त इंतजार पुत्र बशीर व हारून पुत्र रशीद जिनका लम्बा अपराधिक इतिहास है तथा जो माफिया है। उपरोक्त व्यक्ति भी इन्ही के साथ मिलकर मौके पर खनन करा रहे हैं। तथा मना करने पर हमे जान से मारने की धमकी देते हैं। इन्ही के साथ शकील पुत्र इंतजार व तालिम पुत्र सालिम व नसीम पुत्र रफा निवासीगण ग्राम रामडा जो इसी गैंग में सम्मिलित है और मौके पर लोगो को भय दिखाकर तथा आतंकित कर खनन चला रहे हैं। ऐसी दशा में उपरोक्त गैंगसटरो व इनके साथ मिले हुए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करे तथा उक्त खनन पट्टा जो गैंगस्टर अफसरून पुत्र रियासत व राशिद उर्फ भूरा पुत्र रियासत निवासीगण ग्राम रामडा के पिता रियासत पुत्र मीदा व सालिम पुत्र मीदा निवासीगण ग्राम रामडा के नाम दिया गया है को निरस्त कराने की कृपा करे।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि सक्षम अधिकारी को आदेशित किया जावे कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही कराई जावी व इनके नाम दिये गये खनन पट्टा स्थित ग्राम रामडा परगना व तहसील कैराना को निरस्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक-11.01.2023

प्रार्थीगण-Serhat

समस्त निवासीगण ग्राम रामडा
परगना व तहसील कैराना
जिला शामली।

97615801286

9771930470

[Handwritten signature]

सहित

कार्यालय तहसील कार्यालय (खनन अनुभाग) ग्रामालय के पास संख्या 5579/ खनन वि०-2023 दिनांक 22-02-23 के सम्बन्ध में आया।
निम्नवत है।

ग्राम रामदास परगना व तहसील केराना जिला ग्रामालय में स्थित खनन नम्बर 1121/21। खनन 40-9890 ई० से 0.6830 ई० क्षति खनिज रियासत व स्थानीय पुष्पगण मीवा निवासों ग्राम के चारों ओर फैला हुआ है जिस पर उक्त खनिजों का खनन जमा हुई बालू स्टॉक की अनुमान 19.24 घनमीटर खनिज बालू का खनन - अनुमान 19.24 घनमीटर खनिज बालू का पूर्ण खनन कर लिया गया है।

1- ग्राम रामदास के खनिजों सन् 1912-1917 फ० के अन्तर्गत खनन संख्या 637 में स्थित खनन नम्बर 1121/21। खनन 40-9890 ई० से 0.6830 ई० क्षति रियासत व स्थानीय पुष्पगण मीवा के चारों ओर फैला हुआ है।
खनन खनिजों का वकालतपत्र है।

2- खनन पट्टे की क्षति की Flood Zone से दूरी लगभग 98 मीटर है।
आया जा मान जी की सेवा में साक्ष्य प्रेषित है।

(Signature)
22-02-23
फुरकान अहमद
सर्वे लेखपाल

तहसीलदार, केराना

सहायक,




कार्यालय लेखपाल कार्यालय प्रेषित है।

(Signature)
22/02/2023
राजेश्वर (सि/सर्वे)
तहसीलदार/सर्वे



सहायक,
श.वि. शासन सेवा में साक्ष्य प्रेषित है।

(Signature)
22/02/23
तहसीलदार-केराना Taluk
जिला-शाहवा

(Signature)
22/02/23
SOMK



LT
11/10/20



LTI RAME

खसरा

ग्राम..... राभडी परगना..... क्षेत्रांत..... तहसील..... जिला शामली..... पिन 241172..... सन फसली सम्बन्धी

खसरा सं०	क्षेत्रफल हैक्टेयर मं	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	सिंचाई की रीति और कुंए	कृषि भूमि का क्षेत्रफल			दो फसली		मिलान खसरा के अनुसार अकृषिक भूमि का विवरण		प्रत्येक खेत के पूरे बट्टे हुए वृक्षों की संख्या और किसम	विवरण						
						खरीफ	रबी	जायद	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल			क्षेत्रफल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1121/2	1.749	637	मिदा																	

District Collector
 Shamli

Handwritten notes in the top left corner.

क्रमा संख्या

संरक्षक का नाम

हॉल का फसली वर्ष

गण्डे की खसरा संख्या

गण्डे का क्षेत्रफल (हे.)

खालदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान

परिवर्तन संख्या

संरक्षण उनकी संख्या तथा और आना देने

वाले अधिकारी का पद

उत्तर का दिनांक

1	2	3	4	5	6	7-12	13
---	---	---	---	---	---	------	----

उपरोक्त आदेश के अनुपाल में वाद काटौती मूल्यांकन दिया गया 32.10

दिया गया 32.10

836/231 मि रकबा 1-1-8/0.219 हे० दर 30 रु० 32.10

नया गाटा सं० 1121 मि किलसे 738

738/8 मूसा पत्र वहीद निवासी ग्राम असं० भूमिधर निकाला गया

उपरोक्त आदेश के अनुपाल में वाद काटौती मूल्यांकन दिया गया 32.10

दिया गया 32.10

836/231 मि रकबा 1-1-8/0.219 हे० दर 30 रु० 32.10

नया गाटा सं० 1121 मि किलसे 738

738/10 मुकीम पूज वहीद निवासी ग्राम असं० भूमिधर उपरोक्त आदेश के अनुपाल में वाद काटौती मूल्यांकन दिया गया 32.10

दिया गया 32.10

836/231 मि रकबा 1-1-8/0.219 हे० दर 30 रु० 32.10

नया गाटा सं० 1121 मि किलसे 738

738/11 नसीम पूज वहीद निवासी ग्राम असं० भूमिधर उपरोक्त आदेश के अनुपाल में वाद काटौती मूल्यांकन दिया गया 32.10

दिया गया 32.10

9/10

खतौनी सरसक का नाम

होने का फसली वर्ष

गाटे का खसरा संख्या

गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

ब्याग देव मालगुजारी या लगान

पारसतन शालीनी यातन वा अन्नान संराशा उनकी संख्या तथा दिनाक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

7-12

13

836/231मि रकबा 1-1-8/0.219हे0 दर 30 मू 32.10 नया गाटा सं0 1121मि किससे 738 से

738/12 शहीद पूत्र अलीहसन निवासी ग्राम असं0 भूमिधर निकाला गया -----

उपरोक्त आदेश के अनुराल मे वार काटौती मूल्याकन दिया गया 128-39

दिया गया -----
836/213मि रकबा 4-5-8/0.874हे0 दर 30 मू 128.39 नया न0 1121मि किससे 738 से

738/13 नरमौरामद पूत्र भिक्कु निवासी ग्राम असं0 भूमिधर निकाला गया

उपरोक्त आदेश के अनुराल मे वार काटौती मूल्याकन दिया गया 256.79

दिया गया -----

836/231मि रकबा 8-10-16/1.749हे0 दर 30 मू 256.79 नया न0 1121मि किससे 738 से

738/14 नन्य व दिला पुत्रगण नगर निवासी ग्राम असं भूमिधर

निकाला गया -----

च0 अ0 वार सं0 3028/1-1-1-93 धारा 9क (2) के अनुरालन मे 836/231/17-18-0 पर रकबा मिलने से वार काटौती मू० दिया गया 510.15

दिया गया -----

836/231मि रकबा 17-0-2/3.484हे0 दर 30 मू 510.15 नया न0 1121मि किससे 738 से

738/15 नरसिंह पूत्र छज्जू निकस भ्रात अरुणभूमिधर च0 अ0 वार सं0 3028/11-1-1-93 धारा 9 क (2) के अनुराल मे गाटा सं0 836/231/6-18-0 पर रकबा

११०

मिलने से बाद कटौती म० दिया गया 196.65
 दिया गया -----
 836/231मि रकबा 6-11-2/1-344हे० दर 30 म० 196.65
 नया न० 1121 मि किससे 738 से

738/16 चन्द्रपान पुर गान निवासी प्राप्त अस० भूमिधर
 च० 30 वाद सं० 3028/1-11-93 धारा 9 क (2) के
 अनुपाल में गाटा सं० 836/231 रकबा 8-14-0 पर
 स्वाम्य मिलने से बाद कटौती म० दिया गया 240.83
 दिया गया -----

836/231मि रकबा 8-0-12/1.646हे० दर 30 म० 240.83
 नया न० 1121मि किससे 738

738/17 धर्म सिंह पुर सोराण निवासी प्राप्त अस० भूमिधर
 च० 30 वाद सं० 3028/1-11-93 धारा 9 क (2) के
 अनुपाल में गाटा सं० 836/231मि रकबा 8-15-0
 पर स्वाम्य विभाजन होने से बाद कटौती म० 55.57
 दिया गया -----

836/231मि रकबा 1-17-1/0.380हे० दर 30 म० 55.57
 नया न० 1121मि किससे 738 से

738/18 सुश पुर सोराण निवासी प्राप्त अस० भूमिधर
 उपरोक्त आदेश के अनुपालन में वाद कटौती म० 55.57
 दिया गया -----

836/231मि रकबा 1-17-1/0.380हे० दर 30 म० 55.57
 नया न० 1121मि किससे 738 से

738/19 मेनपाल पुर सोराण निवासी प्राप्त अस० भूमिधर
 उपरोक्त आदेश के अनुपालन में वाद कटौती म० 55.58
 दिया गया -----

836/231मि रकबा 1-17-1/0.380हे० दर 30 म० 55.58
 नया न० 1121 मि किससे 738 से

738/20 रामपाल पुर सोराण निवासी प्राप्त अस० भूमिधर

919

उपरोक्त
क्रमांक

संरक्षक का नाम

होने का फसली वर्ष

गाटे की खसरा संख्या

गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

बंदा देव मालगुजारी या लगान

संरक्षक उत्तरी संख्या तथा दिनांक सहित और आया देने वाले अधिकारी का पद

दिखायी

2

3

4

5

6

7-12

13

उपरोक्त आदेश के अनुसार मालगुजारी में वाद कटौती मू० 55.58 दिया गया -----

836/231मि रकबा 1-17-1/0.380हे० दर 30 मू०55.58 नया नं०1121मि किससे 738 से

738/21 शीशपाल पूर सीरण निवासी ग्राम अस० भूमिधर उपरोक्त आदेश के अनुसार मालगुजारी में वाद कटौती मू० 55-58 दिया गया -----

836/231मि रकबा 1-17-1/0.380हे० दर 30मू०55.58 नया नं०1121मि किससे 738 से

738/22 खुरशद पूर लीमू निवासीग्राम अग्र० भूमिधर च०अ० वाद सं० 3028/1-11-90 धारा 9क (2) के अनुसार मालगुजारी में गाटा सं० 836/231 रकबा 10-5-0 पर स्वाम्य व विभाजन के वाद कटौती मूल्यंकन दिनांक 24-34

दिया गया -----
836/231मि रकबा 0-16-4/0-166हे० दर 30 मू० 24.74 नया नं०1121मि किससे 738 से

738/23 नूरुल हसन मूल निवासी ग्राम अस० भूमिधर उपरोक्त आदेश के अनुसार मालगुजारी में वाद कटौती मू० 24.34 दिया गया -----

836/231मि रकबा 0-16-4/0.165हे० दर 30 मू० 24.34 नया नं० 1121मि किससे 738 से

738/24 सिल्वी पूर लीमू निवासी ग्राम अग्र० भूमिधर निकाला गया-----

उपरोक्त आदेश के अनुसार मालगुजारी में वाद कटौती मू० 24.34 दिया गया -----

836/231मि रकबा 0-16-4/0.166हे० दर 30 मू० 24.34 नया नं० 1121मि किससे 738 से

X 738/23 नूरुल हसन मूल निवासी ग्राम अस० भूमिधर

210

1	2	3	4	5	6	7-12	13
संख्या	गाटे की खसरा संख्या	गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	व्यारा देय मालगुजारी या लगाना	संरक्षण संख्या तथा दिनांक सहित	आरे आजा देने वाले अधिकारी का पद		

निकाला गया

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में वाद कटौती प्र० 73.03 दिया गया र-----

836/231मि रकबा 2-8-19/0.502हे० दर 30 प्र०73.03

नया नं० 1121मि किरसे 738 से

738/26 जिन्दा मूट सनाम निवासी ग्राम असमूमियर

निकाला गया -----

आ० च० अ० वाद सं० 3028/1-1-93 धारा 9 क. (2)

के अनुपालन में गाटा सं०836/231 पर स्थान व विभाजन

मिलने बाद कटौती प्र० दिया गया 146.07

दिया गया -----

836/231मि रकबा 4-17-18/1.002हे० दर 30 प्र०

146.07 नया नं०1121मि किरसे 738 से

738 से

गाटा सं० 836/231 मि रकबा 0-13-6 दर 30 प्र० 15.00

नया नं०1121मि चक्रमार्ग

व 836/231मि रकबा 8 10-16 दर 30 प्र० 256.79

नया नं० 1121मि किरसे 738/1

व 836/231मि रकबा 8-10-16 दर 30 प्र० 256.79

नया नं०1121मि किरसे 738/1

व 836/231मि रकबा 2-2-16 दर 30 प्र० 64-19

नया नं०1121मि किरसे 738/3

व 836/231मि रकबा 2-2-16 दर 30 प्र० 64-19

नया नं०1121मि किरसे 738/4

व 836/231मि रकबा 2-2-16 दर 30 प्र० 64-19

नया नं०1121मि किरसे 738 5

व 836/231मि रकबा 1-1-8 दर 30 प्र० 32-16

नया नं० 1121मि किरसे 738/6

व 836/231मि रकबा 1-1-8 दर 30 प्र० 32-16

नया नं० 1121मि किरसे 738/6

व 836/231मि रकबा 1-1-8 दर 30 प्र० 32-16

प्र०

रकती संख्या

संरक्षण का नाम

होने का फसली वर्ष

गाटे की खसरा संख्या

गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

व्यारा देव मालगुजारी या लगान

संरक्षण उन्की संख्या तथा दिनांक सहित और आगा देने वाले अधिकारी का पद

दिखानी

1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7-12 ----- 13

नया नं० 1121 मि. किससे 738.7
व 836/23 मि रकबा 1-1-8 दर 30 म० 32.10
नया नं० 1121 मि किससे 738/8
व 836/23 मि रकबा 1-1-8 दर 30 म० 32.10
नया नं० 1121 मि किससे 738/9
व 836/23 मि रकबा 1-1-8 दर 30 म० 32.10
नया नं० 1121 मि किससे 738/10
व 836/23 मि रकबा 1-1-8 दर 30 म० 32.10
नया नं० 1121 मि किससे 738/11 से
व 836/23 मि रकबा 4-5-8 दर 30 म० 128.38
नया नं० 1121 मि किससे 738-12 से
व 836/23 मि रकबा 8-10-16 दर 30 म० 256.79
नया नं० 1121 मि किससे 738/13
व 836/23 मि रकबा 17-0-2 दर 30 म० 510.15
नया नं० 1121 मि किससे 738/14
व 836/23 मि रकबा 6-11-2 दर 30 म० 196.65
नया नं० 1121 मि किससे 738/15
व 836/23 मि रकबा 8-0-12 दर 30 म० 240.83
नया नं० 1121 मि किससे 738/16
व 836/23 मि रकबा 1-17-1 दर 30 म० 55.57
नया नं० 1121 मि किससे 738/17
व 836/23 मि रकबा 1-17-1 दर 30 म० 55.57
नया नं० 1121 मि किससे 738/18
व 836/23 मि रकबा 1-17-1 दर 30 म० 53.57
नया नं० 1121 मि किससे 738/19 से
व 836/23 मि रकबा 1-17-1 दर 30 म० 55.57
नया नं० 1121 मि किससे 738/20
व 836/23 मि रकबा 1-17-1 दर 30 म० 55.57
नया नं० 1121 मि किससे 738/21

जलनी
क्रमा संख्या

सरक्षक का नाम

होने का फसली वर्ष

गाँव की खसरा संख्या

गाँव का क्षेत्रफल (हे.)

जालदार वारा देव मालगुजारी या लगाना

परवर्तन सम्बन्धी आगा वा उसका संरागा उनकी संख्या तथा दिनाक सहित और आगा देने वाले अधिकारी का पद

दिनांक

2

3

4

5

6

7-12

13

व 836/231 मि रकबा 0-16-4 दर 30 म० 24.34
नया नं० 1121 मि किससे 738/22
व 836/231 मि रकबा 0-16-4 दर 30 म० 24.34
नया नं० 1121 मि किससे 738/23
व 836/231 मि रकबा 0-16-4 दर 30 म० 24.34
नया नं० 1121 मि किससे 738/24
व 836/231 मि रकबा 2-8-10 दर 30 म० 73-03
नया नं० 1121 मि किससे 738/25
व 836/231 मि रकबा 4-17-18 दर 30 म० 146.07
नया नं० 1121 मि रकबा 738/26
व 836/231 मि रकबा 0-5-0 दर 30 म० 7.50
नया नं० 1121 मि चकमा/724
व 836/231 मि रकबा 0-5-0 दर 30 म० 7.50
नया नं० 1121 मि चकमा/724
कुल 29 किले रकबा 94-7-21/19 330 हे० म० 2831.55
724 चकमा निकाला गया -----
दिया गया -----

गाटा सं 836/231 मि रकबा 0-10-0 दर 30 म० 15.00
नया नं० 1121 मि किससे 738 से
व 836/231 मि रकबा 0-5-0 दर 30 म० 7.50
नया नं० 1121 मि किससे 738 से
व 836/231 मि रकबा 0-5-0 दर 30 म० 7.50
नया नं० 1121 मि किससे 738 से
योग: कुल तीन किले रकबा 1-0-0 म० 30.00
ह० स० च० 30 19-12-06 ह० स० का० : 9-12-06
व 16 फ० आदेशानुसार श्रीमान सतसोहन महोदय
के चार सं० 144/07 धारा 34 J.R. ACT.
श्रीमति मनोरा आदि बनाम दिला : श्रीमान राजा कि
शाह ह० स० 6,17 खसरा नं० 1121 मि रकबा 3 484 हे०

पृष्ठ संख्या : 256 का 251

खलेनी सरक्षक का नाम होने का फसली वर्ष खत के प्रकार खत की खसरा गाटे का क्षेत्रफल (हे.) खतदार द्वारा देय परतन संख्या तथा दिनांक सहित टिप्पणी

1 2 3 4 5 6 7-12 13

क्रमांक 57/13-10-09 पर आदेश हुआ कि खता सं0 637 से मूलक खतदार मूकीम पत्र बशीर निवासी ग्राम का नाम खारिज करके श्रीमति फालो फत्ती ख0 मूवीम निवासी ग्राम कानम बतौर वारिसान दत्र होवे
 क्रमांक 58/13-10-09 पर आदेश हुआ कि खता सं0 637 से मूलक खतदार सईद पत्र अलीकिसन निवासी ग्राम का नाम खारिज करके शालिम व महरवल पुराण सहीद व श्रीमति जिला फत्ती ख0 सहीद निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिसान दत्र होवे
 क्रमांक 59/13-10-09 पर आदेश हुआ कि खता सं0 637 से मूलक खतदार मीना पत्र भिकवू निवासी ग्राम का नाम खारिज करके नीजा दरियादत व जमशानद व मुन्त्याज व सारिम पुराण मीरा निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिसान दत्र होवे

क्रमांक 13-10-09 पर आदेश हुआ कि खता सं0 141750 आदेशानुसार श्रीमान तरसोलदार इनाक 15-12-09 के अन्तगत आदेश हुआ कि ग्राम रामडा के रजिस्टर मालकान के पृष्ठ संख्या 119 क्रमांक 78/19-12-06 पर अदिलत श्रीमान चक्रवर्ती अधिकारी मु0नगर बाद सं0 43/5-12-06 का आदेश के चक्र सं0 CH 45 के खता सं0 732/5 श्रीम होने में इच्छा था जो निम्नवत है-
 आदेशानुसार श्रीमान चक्रवर्ती अधिकारी फालो फत्ती सं0 43/5-12-06 खता सं0 1099 ग्राम रामडा में आदेश हुआ कि ACO इनप 109 की अरज्या क्रमांक 19-10-09 व संशोधन मिले तो के अन्तगत अदिलत के संकेतन किया गया। यह 10 CH 45 के खता सं0 732/5

10/1

क्रमांक

संरक्षक का नाम

होने का फसली वर्ष

गाटे की खसरा संख्या

गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

जिल्ला क्षेत्र

संरक्षण उपकी संख्या तथा दिनांक सहित और आता देने वाले अधिकारी का पद

1 2 3 4 5 6 7-12 13

कोमा पत्र अली मौसमद निवासी ग्राम निकाला गया

चौ०अ० बाद सं० १०२८/११-११-९३ धारा ९ क (२) के अनुपालन में गाटे सं० ८३६/२३१ रकबा ४५-१-० पर स्थान्य मिलने तथा विभाजन होने के कारण बाद कटीली मूल्यांकन दिया गया २५६.७९

गाटा सं० ८३६मि/७३१ रकबा ०.४३८६० दर ०.३० मू० ६४.१ नई गाटा सं० ११२.१ मि फिससे ७३८ अरं० भूमिधर र००००० १९-१२-०६ र००प्रमाणन चकबन्दी कती १९-१२-०६

१४१७क० इन्वेंटरीअल प्र०००००० ऊन द्वारा प क ११३ क क्रमांक १/१०-०१-१० के अन्तर्गत खता मं० ६३७ स मूलक किम्मा के स्थान पर लियाकत पत्र किम्मा निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज होवे र०००क०-१८-०१-१०

कुल गाटे : 6 कुल क्ष : 54,1680 0.00

योग श्रेणी 6-4 कुल गाटे : 20 कुल क्ष : 69,4740 0.00

योग ग्राम : कुल गाटे : 1,294.00 कुल क्ष : 636.58 कुल राजस्व 7,941.12

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

सहाय्य

अतः दिनांक 25-01-023 को जामा उपजिलाधिकारी सहाय्य केरना जनपद शामला के द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में ग्राम रामडा पञ्चाना व तहसील केरना जिला शामला के रकसरा नम्बर 1121/21 रकबा 40-9890 हे० में से 0.6830 हे० भूमि पर स्वीकृत खनन पट्टा का स्थलाय निरीक्षण किया गया। रकसरा नम्बर 1121/21 रकबा 40-9890 हे० में से 0.6830 हे० भूमि स्वतंत्र रियासत व स्यालम सुभाषण मीदा नि० ग्राम रामडा के स्वीकृत खनन पट्टा में 19124 घनमीटर खनिज वायु का उत्पादन अनुमत्त है।

उक्त खनन पट्टा को पैमाइश बाजार निरीक्षण सचिव काचुनगी की उपस्थिति में जाा गया। खनन पट्टा धारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से 19124 घनमीटर खनिज वायु का पूर्ण रूप से खनन कर लिया गया है।

अतः आख्या सहाय्य को सेवा में स्याद प्रेषित है।

(Signature)
25-01-23

सहाय्य

शान्ति आलय सेवा में स्याद प्रेषित है।

(Signature)
27/01/202
N.T.P.

कार्यालय उपजिलाधिकारी कैराना जनपद-शामली।

पत्रांक:- 628 /एस0टी0

दिनांक:- 27.01.2023

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),

शामली।

महोदय

तहसीलदार कैराना की आख्या दिनांक 27.01.2023 को संयुक्त टीम द्वारा ग्राम रामडा, परगना व तहसील कैराना जनपद शामली के खसरा नं. 1121/2/1 रकबा 40.9890हे० में से 0.6830हे० भूमि पर स्वीकृत खनन पट्टा का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जो कि खातेदार रियासत व सालिम पुत्रगण मीदा, निवासी ग्राम को 19124 घनमीटर खनिज बालू का उत्पादन अनुमन्य है।

उक्त खनन पट्टा की पैमाईश आख्या प्रस्तुत कि गयी खनन पट्टा धारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से 19124 घनमीटर पूर्ण रूप से खनिज बालू का खनन कर लिया गया है। अतः उक्त अनुज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

उपजिलाधिकारी
कैराना।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
कैराना।

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

संख्या: 5529/ख0वि0-2023,

दिनांक 30-01-2023

-: आदेश :-

उपजिलाधिकारी कैराना द्वारा अपनी आख्या दिनांक 27-01-2023 प्राप्त दिनांक 28-01-2023 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि तहसीलदार कैराना की आख्या दिनांक 27-01-2023 को संयुक्त टीम द्वारा ग्राम रामड़ा, परगना व तहसील कैराना जनपद शामली के खसरा नं0 1121/2/1 रकबा 40.9890 हे0 में से 0.6830 हे0 भूमि पर स्वीकृत खनन पट्टा का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जो कि खातेदार रियासत व सालिम पुत्रगण मीदा, निवासी ग्राम को 19124 घनमीटर खनिज बालू का उत्पादन अनुमन्य है। उक्त खनन पट्टा की पैमाईश आख्या प्रस्तुत की गयी खनन पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से 19124 घनमीटर पूर्ण रूप से खनिज बालू का खनन कर लिया गया है। अतः उक्त अनुज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

अनुज्ञाधारक को निर्गत खनन हेतु अनुज्ञप्ति संख्या-NOC/KB/2022/12/6/165458 दिनांक 04-01-2023 की शर्त नं0 5 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि बाढ से आए हुए खनिजों को हटाने की अवधि, अनुज्ञा पत्र व अनुमोदित खनन योजना में दी गयी मात्रा जो भी पहले पूर्ण हो, तक ही वैध रहेगा व शर्त नं0 15 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि अनुज्ञा पत्र की अवधि या स्वीकृति मात्रा जो पहले समाप्त हो अनुज्ञा पत्र की अवधि मानी जायेगी।

अतः उपजिलाधिकारी कैराना की उक्त आख्या दिनांक 27-01-2023 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारक श्री रियासत व सालिम पुत्रगण श्री मीदा निवासी ग्राम रामड़ा तहसील कैराना जिला शामली द्वारा अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र ग्राम रामड़ा के खसरा नं0 1121/2/1 रकबा 40.9890 हे0 में से 0.6830 हे0 से अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही स्वीकृत/निर्धारित मात्रा 19124 घनमीटर साधारण बालू का खनन कर लिये जाने के कारण उक्त खनन हेतु अनुज्ञप्ति संख्या-NOC/KB/2022/12/6/165458 दिनांक 04-01-2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(जसजीत कौर)

जिलाधिकारी,

शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक महोदया, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त खनन परमिट का ओटीपीओ बन्द करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 2- उपजिलाधिकारी, कैराना जनपद शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर सतर्क दृष्टि बनाये रखे ताकि कोई अवैध खनन का कार्य न होने पाये।
- 3- थानाध्यक्ष, थाना कैराना, जनपद शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर सतर्क दृष्टि बनाये रखे ताकि कोई अवैध खनन का कार्य न होने पाये।
- 4- अनुज्ञप्तिधारक श्री रियासत व सालिम पुत्रगण श्री मीदा निवासी ग्राम रामड़ा तहसील कैराना जिला शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र से तत्काल प्रभाव से खनन कार्य को बन्द करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
शामली।